

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील डिक्री/टीए/1123/2008/बारां

2. अपील डिक्री/टीए/1124/2008/बारां

जमनाबाई पुत्री श्री मूलचंद पत्नी श्री रामनारायण जाति धाकड़
हाल निवासी ग्राम राई, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

1. कालूलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़(फौत)
1/1 भंवरलाल पुत्र कालूलाल
1/2 चौथमल पुत्र कालूलाल
1/3 महेन्द्र कुमार पुत्र कालूलाल ...वादी/रेस्पोंडेंट
2. छीतरलाल पुत्र दौला उर्फ दोलतराम
3. भूरी उर्फ भूलीबाई बेवा दोला उर्फ दोलतराम
4. नट्टीबाई बेवा मांगीलाल
5. लालचन्द्र पुत्र गोपचंद उर्फ गोविन्दलाल
6. रामनारायण पुत्र मांगीलाल
7. हेमराज पुत्र गोपीचंद उर्फ गोविन्दलाल जाति धाकड़,
निवासीगण ग्राम पछाड़, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, बारां ...प्रफोमरिस्पोंडेंट्स

3. अपील डिक्री/टीए/1563/2008/बारां

1. छीतरलाल पुत्र दौला उर्फ दोलतराम
2. भूरी उर्फ भूलीबाई बेवा दोला उर्फ दोलतराम जाति धाकड़,
निवासी ग्राम पछाड़, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां अपीलार्थी

बनाम

1. कालूलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ (फौत)
1/1 भंवरलाल पुत्र कालूलाल
1/2 चौथमल पुत्र कालूलाल
1/3 महेन्द्र कुमार पुत्र कालूलाल
2. नट्टीबाई बेवा मांगीलाल
3. लालचन्द्र पुत्र गोपचंद उर्फ गोविन्दलाल
4. रामनारायण पुत्र मांगीलाल
5. हेमराज पुत्र गोपीचंद उर्फ गोविन्दलाल जाति धाकड़,
निवासी ग्राम पछाड़, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
6. जमनाबाई पुत्री श्री मूलचंद पत्नी श्री रामनारायण जाति
धाकड़ हाल निवासी ग्राम राई, तहसील छीपाबड़ौद, बारां
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, बारां ...वादी/रेस्पोंडेंट

खण्डपीठ

डॉ. शिव प्रसाद सिंह सदस्य
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.एस.राजावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक
(अधिवक्ता प्रत्यर्थी के ब्रीफ होल्डर)

दिनांक : 05/02/2026

निर्णय

(I) अपील का आधार :-

1. अपीलार्थीगण द्वारा ये तीनों अपीलों न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 446/2007 व अपील संख्या 494/2007 बउनवानी जमनाबाई पुत्री मूलचन्द बनाम कालूलाल पुत्र मांगीलाल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2008 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त तीनों अपीलों भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के एक ही निर्णय दिनांक 28.01.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, अतः तीनों अपीलों का निस्तारण इस संयुक्त निर्णय के द्वारा किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

(II) अपील के तथ्य :-

1. अपील डिक्री संख्या-2008/1123 व 2008/1124 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मूल वाद वादी/रेस्पोंडेंट संख्या-1(कालूलाल) द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 188 एवं 53 के अंतर्गत तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां के ग्राम बमोरीघाटा की आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 22.08 बीघा व ग्राम पछाड़ के खाता संख्या 88 एवं 203 के खसरा नम्बर 76, 103, 314, 404, 412, 414, 413, 436, 459, 460 व 484 कुल किता 11 सहित कुल रकबा 83 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि के संबंध में अधिकार घोषणा एवं विभाजन की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादी का दावा मृतक कल्याणी बेवा मूलचन्द के कथित 1/4 हिस्से पर आधारित था तथा इसके समर्थन में दिनांक 16.06.1998 का एक तथाकथित वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी, जो मृतक कल्याणी बेवा मूलचन्द की एकमात्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी पुत्री है, ने वाद का विरोध करते हुए यह कहा कि उक्त वसीयतनामा अप्रमाणित, अपंजीकृत एवं संदेहास्पद है, उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार विधिवत सिद्ध नहीं किया गया है तथा वसीयत की केवल फोटो-प्रति प्रस्तुत कर मूल दस्तावेज का अभाव रहा है, इसलिए उसके आधार पर किसी भी प्रकार का खातेदारी अथवा स्वत्व अधिकार घोषित नहीं किया जा सकता। यह भी तथ्य अभिलेख पर है कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पूर्व में दिनांक 05.09.2000 को अपीलार्थी के पक्ष में नामांतकरण संबंधी आदेश पारित किया गया था, जिसे उच्चतर स्तर पर निरस्त नहीं किया गया, किंतु अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर समुचित विचार नहीं किया गया। विद्वान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा तथाकथित वसीयतनामा को स्वीकार करते हुए मृतक के 1/4 हिस्से पर वादी का अधिकार घोषित कर प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की गई तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. इसी प्रकार **अपील डिक्री संख्या-2008/1563** से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पछाड़ एवं बमोरीघाटा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां स्थित आराजी खाता संख्या 88 व 203 की विभिन्न खसराओं की उपर्युक्त वर्णित भूमि पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की रही है, जिसमें मूल खातेदारों के मध्य लगभग पचास वर्ष पूर्व पारिवारिक समझौते के आधार पर आपसी विभाजन हो चुका था तथा उसी के अनुरूप सभी पक्षकार अपने-अपने हिस्सों में पृथक एवं शांतिपूर्ण काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे। उक्त भूमि में कल्याणी पत्नी मूलचंद का 1/4 हिस्सा, लालचंद, हेमराज, मांगीलाल, छीतरमल एवं भूरी आदि के हिस्से पूर्व से निर्धारित एवं व्यवहार में स्वीकारित थे। कल्याणी द्वारा दिनांक 16.6.1998 को अपने 1/4 हिस्से के संबंध में वादी/रेस्पोंडेंट संख्या-1 कालूलाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई, जिस पर उसके जीवनकाल में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तथा उसके पश्चात प्राकृतिक उत्तराधिकार एवं पारिवारिक बंटवारे के अनुसार संबंधित पक्षकार अपने-अपने हिस्सों में काबिज रहे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पारिवारिक विभाजन, दीर्घकालीन पृथक कब्जा तथा शांतिपूर्ण काश्तकारी के तथ्य अभिलेखों एवं साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित थे, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रक्रिया संबंधी विधिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी छीतरमल के उस हिस्से में भी बंटवारे का निर्णय दे दिया गया, जो पहले से ही पारिवारिक विभाजन एवं दीर्घकालीन कब्जे के कारण पृथक एवं निर्विवाद था, जबकि अपील का विषय केवल अन्य विवादित अंशों तक सीमित था। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील की सीमाओं से परे जाकर छीतरमल के स्वीकृत हिस्से में हस्तक्षेप किया गया, जो अधिकार क्षेत्र से परे एवं विधिविरुद्ध था। उक्त अवैध हस्तक्षेप से आहत होकर छीतरमल द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि उसके हिस्से के संबंध में न तो कोई विवाद था

और न ही किसी प्रकार के पुनः बंटवारे की आवश्यकता थी। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अन्तिम डिक्री के विरुद्ध दायर अपील संख्या 494/2007 को बिना विवेचन किये ही सारहीन मान ली गई। प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट गलत रूप से बनायी जाने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई का मौका दिये त्रुटिपूर्ण निर्णय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारिवारिक विभाजन एवं वास्तविक कब्जे की स्थिति की उपेक्षा कर एकतरफा निष्कर्ष निकाले गए, जिससे पारित निर्णय एवं डिक्री कानूनसम्मत नहीं होकर निरस्त किए जाने योग्य बताया।

(III) पक्षकारों की बहस व तर्क :-

1. दौराने बहस अपीलार्थीगणके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री विधि एवं तथ्य दोनों दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण हैं तथा विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील का निस्तारण करते समय अपीलार्थी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कानूनी एवं तथ्यात्मक बिंदुओं पर समुचित विचार नहीं किया गया है। तर्क दिया गया कि जिस कथित वसीयतनामा दिनांक 16.06.1998 के आधार पर वादी/रेस्पोंडेंट संख्या-1 को मृतक कल्याणी बेवा मूलचन्द के 1/4 हिस्से पर अधिकार प्रदान किया गया है, वह न तो पंजीकृत है और न ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार विधिवत सिद्ध किया गया है तथा केवल उसकी फोटो-प्रति प्रस्तुत कर उसे स्वीकार करना कानूनन अवैध है, विशेषकर तब जबकि अपीलार्थी मृतक की एकमात्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी पुत्री है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति पर उसका वैधानिक अधिकार बनता है। तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पूर्व में पारित नामांतकरण आदेश, जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में अधिकार स्वीकार किया गया था, आज भी प्रभावी है, किंतु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त आदेश की उपेक्षा की गई है तथा नामांतकरण के तथ्य को महत्व न देकर केवल अप्रमाणित वसीयतनामे पर निर्णय पारित किये गये हैं, जो गंभीर विधिक त्रुटि है। यह भी तर्क किया कि विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील निरस्त करते समय न तो साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया और न ही अपील के आधारों पर स्पष्ट निष्कर्ष दिए गए, जिससे आदेश न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त करते हुए अपील अपीलार्थी पक्ष स्वीकार कर दावे में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अनुसार प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विधिसम्मत बंटवारे के साथ अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

2. वादी/रेस्पोंडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील का विरोध करते हुए कहा गया कि विद्वान् उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन के पश्चात पारित किए गए हैं तथा मृतक कल्याणी बेवा मूलचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिसके आधार पर वादी का अधिकार सिद्ध होता है। यह भी तर्क दिया गया कि नामांतकरण आदेश से स्वत्व अथवा खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते और मात्र नामांतकरण के आधार पर अपीलार्थी वसीयत से उत्पन्न अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती तथा द्वितीय अपील में तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप का सीमित क्षेत्र होता है। अतः रेस्पोंडेन्ट की ओर से यह प्रार्थना की गई कि अपील निराधार है और इसे निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जाए। विद्वान अधिवक्ता वादी/रेस्पोंडेन्ट ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 छबड़ा जिला बारां द्वारा हस्तगत सम्पत्ति/वसीयतनामा के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 की प्रति प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

(iv) विचारण न्यायालय का विवेचन एवं निर्णय :-

1. वादी/रेस्पोंडेन्ट कालूलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के समक्ष निम्न तनकीयात का उज़र करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया -

तनकी नं० 1- यह कि वादी वसीयत दिनांक 16.6.98 के एवं लम्बे कब्जे काश्त के आधार पर कल्याणी के हिस्से 1/4 ग्राम बमोरीघाटा एवं ग्राम पछाड़ की आराजीयात की खातेदारी प्राप्त करने व प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराने का अधिकारी है।

तनकी नं० 2- यह कि वादी ग्राम बमोरीघाटा एवं पछाड़ के इन्तकाल नं० 685 एवं 872 दिनांक 7.9.2000 जमनाबाई के नाम खोले गये हैं, को अवैध एवं शून्य घोषित करवाकर अपने आपको खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है।

तनकी नं० 3- यह कि प्रतिवादी जमनाबाई अपने खाते हिस्से 1/4 खाते के शामलाती खाते से पृथक बंटवारा करवाकर अपने हिस्से 1/4 आराजी को वादी के कब्जे से लेने की अधिकारिनी है।

तनकी नं० 4- अन्य सहायता।

2. यह कि वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में फोटो प्रति वसीयत दिनांक 16.6.98, नकल जमाबंदी सं० 2035 से 2038 ग्राम पछड़, नकल जमाबंदी ग्राम बमोरीघाटा सं० 88, फोटो कॉपी इन्तकाल नं० 685 ग्राम पछड़, नकल इन्तकाल नं० 872 ग्राम बमोरीघाटा, नकल नामा० नं० 686 ग्राम पछड़, नकल नामा० सं० 889 ग्राम बमोरीघाटा प्रस्तुत किये गये तथा साक्ष्य कॉपी हेतु PW-1 कालूलाल, PW-2 नन्दसिंह, PW-3 भंवरलाल, PW-4 कालूलाल पुत्र अमरलाल पेश किये गये। प्रतिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल निर्णय 6.9.2000 तहसीलदार छीपाबडौद, तस्दीक ग्राम पंचायत पछड़ दिनांक 30.9.99, नकल जमाबंदी नं. 88 ग्राम बमोरीघाटा सं० 2054 से 2057, नकल जमाबंदी नं. 203 ग्राम पछड़ सं० 2055 से 2058 पेश की गई तथा प्रतिवादी DW-1 छीतरलाल, DW-2 जमनाबाई के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड एवं साक्ष्यों के दृष्टिगत उक्त तनकीयात को निम्नानुसार निर्णीत किया गया है -

तनकी नं० 1- इस तनकी को साबित करने का भार वादी का था। मुताबिक नकल जमाबंदी ग्राम पछड़ संवत् 2055 से 2058 खाता संख्या 203 कुल किता 11 रकबा 83.02 बीघा मांगीलाल पुत्र ओंकार हिस्सा 1/4, छीतरलाल पुत्र दौलतराम व भूलीबाई बेवा दौलतराम हिस्सा 1/4 बराबर, कल्याणी बेवा मूलचन्द हिस्सा 1/4, लालचन्द व हेमराज पिसरान गोविन्दलाल हिस्सा 1/4 बराबर, खसरा नं० 76 रकबा 38.10 बीघा का हिस्सा 1/4 बैंक में रहन दर्ज था। मृतका खातेदार कल्याणी बाई बेवा मूलचन्द हिस्सा 1/4 पर जमनाबाई पुत्री मूलचन्द का नाम दर्ज हुआ। ग्राम बमोरीघाटा की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 खाता सं० 88 खसरा नं० 30 रकबा 22.08 बीघा छीतरलाल पुत्र दौलत, भूरी बेवा दौलत, भेरिया मांगीलाल पिसरान ओंकार, लालचन्द, हेमराज पिस० गोपीचन्द, कल्याणी बेवा मूलचन्द दर्ज होना पाया जाता है। मृतक कल्याणी बाई के स्थान पर जमनाबाई पुत्री मूलचन्द खाते में दर्ज हुआ। प्रदर्श-3ए अनुसार एक वसीयत खातेदार कल्याणीबाई ने शामलाती खाते के हिस्से की भूमि करीब 25.00 बीघा व एक कच्चा मकान ग्राम पछड़ कालूलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी पछड़ के पक्ष में गवाहों केसमक्ष तहरीर लिखी है जिसे शपथ आयुक्त द्वारा दिनांक 17.6.1998 को तस्दीक किया है तथा भूमि व मकान राजीखुशी से देना अंकित है एवं उक्त भूमि पर कालूलाल का काशत करना भी दर्ज है। मृतक कल्याणी बाई के हिस्से की आराजी को कल्याणी बाई के मरने के बाद से तथा उसके पूर्व से भी वादी कालूलाल का भूमि पर काशत करना साक्ष्य वादी PW-2, PW-2, PW-4 ने अपने बयानों में बताया है तथा वर्तमान में भी काशत करना बयानों में बताया है। इसकी पुष्टि

DW-2 जमनाबाई ने भी अपने बयान जिरह में की गई है। DW-2 जमनाबाई ने जिरह के दौरान मृतक कल्याणी बाई के मरने से पहले जमीन की वसीयत कालूलाल के नाम करा देना स्वीकार किया है तथा जमीन पर कभी भी स्वयं का कब्जा नहीं होना बताया है। अतः रिकॉर्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर मृतक कल्याणीबाई के हिस्से 1/4 ग्राम बमोरीघाटा व पछाड़ की आराजीयात पर वादी खातेदारी प्राप्त करने व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं० 2- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। इस तनकी से सम्बन्धित बिन्दुओं का विवेचन तनकी नं० 1 में किया जा चुका है। रिकॉर्ड के साक्ष्यों के आधार पर ग्राम पछाड़ व बमोरीघाटा की आराजीयात पर मृतक कल्याणीबाई के जीवनकाल से व उसके मरने के बाद से आज तक विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काशत चला आ रहा है, अतः नामा० नं० 685 व 872 ग्राम बमोरीघाटा व पछाड़ अवैध एवं शून्य घोषित होने पर वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं० 3- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का था। मृतक कल्याणी बाई ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम पछाड़ व बमोरीघाटा हिस्सा 1/4 व मकान की वसीयत कालूलाल वादी के नाम की गई है, जो शपथ आयुक्त द्वारा दिनांक 17.6.1998 तस्दीक किया हुआ है। रिकॉर्ड एवं गवाहों के बयानों के आधार पर विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काशत रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काशत होना बताया है। विवादित आराजी पर कभी भी प्रतिवादी जमनाबाई का कब्जा काशत नहीं होना पाया जाता है। विवादित आराजी हिस्सा 1/4 प्रतिवादिनी कब्जे में लेने की अधिकारिणी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादिनी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

4. उपरोक्तानुसार विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.6.2007 पारित करते हुए मृतक कल्याणी बाई बेवा मूलचन्द की वसीयत दिनांक 17.6.1998 को दृष्टिगत रखते हुए वादी को प्रश्नगत सम्पत्ति का खातेदार घोषित किया गया तथा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण दिनांक 5.7.2007 को अन्तिम डिक्री किया गया।

(V) विचारणीय बिन्दु :-

1. द्वितीय अपील के निस्तारण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय Inder Singh vs. State of MP [2025 INSC382] आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है -

"We are of opinion that the second appeal deserves to heard, contested and decided on merits..."

2. स्पष्ट रूप से इस न्यायनिर्णय को समर्थन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 227 से भी मिलता है। सुविधा के लिये धारा 227 निम्न प्रकार है -

227. No decree or order to be reversed or modified for error or irregularity -

No decree or order shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal, on appeal, on account of any mis-joinder of parties or causes of action or any error or irregularity in any proceedings, not affecting the merits of the case.

अर्थात् सामान्यतः अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना गुणावगुण पर विवेचना किए कोई भी डिक्री या आदेश निरस्त या अपास्त नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त सुप्रतिपादित विधिक प्रावधानों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निम्न बिन्दु बनाये जाते हैं -

- (i) क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कथित वसीयतनामा दिनांक 16.6.98 को आधार मानकर पारित न्यायनिर्णय विधि अनुसार पुष्टि किये जाने योग्य है ?
- (ii) क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेज और मौखिक साक्ष्यों के सही विवेचन से निष्कर्ष निकालते हुए अपना निर्णय दिनांक 14.6.2007 पारित किया गया है ?
- (iii) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में किये गये विवेचन को अपने निर्णय के मद संख्या-8 में उचित ठहराते हुए पारित निर्णय दिनांक 28.01.2008 विधिसम्मत है ?
- (iv) वसीयतनामा दिनांक 16.6.98 / 17.6.98 के संदर्भ में उसके फर्जकारी बाबत आपराधिक न्यायनिर्णय का हस्तगत प्रकरण पर प्रभाव ?

(vi) न्यायालय का विश्लेषण एवं निष्कर्ष:-

पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं उनके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस का अनुशीलन करते हुए पत्रावली पर तथ्यों एवं स्थापित विधि के अनुक्रम में विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है -

1. वादग्रस्त भूमि तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां के ग्राम बमोरीघाटा की आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 22.08 बीघा व ग्राम पछाड़ के खाता संख्या 88 एवं 203 के खसरा नम्बर 76, 103, 314, 404, 412, 414, 413, 436, 459, 460 व 484 कुल किता 11 सहित कुल रकबा 83 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमिके चार बराबर के हिस्सेदार पक्ष हैं। विवादित सम्पत्ति के हिस्सेदारों एवं उनके वारिसान निम्न प्रकार हैं-

स्व0 ओंकारलाल								
गोपीचंद (पुत्र)		स्व0 मांगीलाल (पुत्र)			स्व0 दौला (पुत्र)		स्व0 मूलचन्द (पुत्र)	
लालचंद (पुत्र)	हेमराज (पुत्र)	नट्टीबाई (पत्नी)	कालूलाल (पुत्र)	रामनारायण (पुत्र)	भूलीबाई (पत्नी)	छीतरलाल (पुत्र)	कल्याणीबाई (पत्नी)	जमनाबाई (पुत्री)

2. यह सजरे का तथ्य इस प्रकरण में विवाद की विषयवस्तु नहीं है। उपरोक्त सजरे के आधार पर मूलचन्द की पत्नी कल्याणी (बेवा) की मृत्यु के उपरान्त उसकी एकमात्र पुत्री जमनाबाई के नाम प्राकृतिक और नैसर्गिक वारिस होने के आधार पर नामान्तरण संख्या 685 (ग्राम पछाड़) व 872 (ग्राम बमोरीघाटा) दिनांक 7.9.2000 खोला गया, जिसके पश्चात् इस प्रकरण में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इस नामान्तरण को अवैध एवं शून्य घोषित कराने के साथ-साथ स्वयं की खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मूल वाद के वादी कालूलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा पेश किया गया। वादपत्र के अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि कालूलाल मांगीलाल का एकमात्र वारिस नहीं है बल्कि उसके साथ मांगीलाल की बेवा नट्टीबाई और मांगीलाल का पुत्र रामनारायण भी बराबर के वारिस हैं, जो कि मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 होकर इकबालिया जवाब पेशकर्ता हैं। विशेष उल्लेखनीय यह तथ्य भी है कि महिला सदस्य के सम्बन्ध में कोपार्सनरी सम्पत्ति के अधिकारों का किसी प्रकार से खण्डन वादी द्वारा अपने वाद पत्र एवं जवाबुल जवाब में नहीं किया गया है। इन अभिवचनों के अलावा वादी द्वारा प्रमुखतः अपने वादपत्र में एक कथित वसीयत-दस्तावेज दिनांक 16.6.98 के आधार पर यह अभिकथन किया है। यथा इस वसीयतनामे का निष्पादन कल्याणीबाई ने उनके जीवनकाल में कर दिया था; जिसके अनुसार वादी कालूलाल को अपना वारिस-बेटा होना बताया। साथ ही उसने यह भी कथन किया कि इस भूमि पर वादी कल्याणीबाई के जीवनकाल में और उसकी मृत्यु के पश्चात् भी उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादी जमनाबाई ने अपने जवाब में वादी के कब्जेकाश्त सम्बन्धी कथनों का और वसीयतनामे सम्बन्धी कथनों से स्पष्टइंकार किया है और स्वयं को नियमित रूप से नैसर्गिक वारिस होने के आधार पर काबिज काश्त होना बताया है। प्रतिवादी संख्या-1 ने यह कहा कि दिनांक

2.7.99 को उसकी माता कल्याणीबाई की मृत्यु होने के पश्चात् भी वह स्वयं अपनी माता की 1/4 भूमि पर कब्जे काशत है। वादी का कब्जा जबरन व बतौर अतिक्रमी है और अतिक्रमी के आधार पर वादी को प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक भूमि में कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस आधार पर उसने वादी को अतिक्रमी बताकर बेदखल करने का अनुतोष अपने जवाब दावे में बतौर काउण्टर क्लेम पेश किया। इन अभिवचनों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकियों का निस्तारण सार रूप से इस प्रकार किया है कि -

तनकी संख्या-1 के निर्धारण में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह आधार लिया कि कथित वसीयत दिनांक 16.6.98 शपथ आयुक्त से दिनांक 17.6.98 को तस्दीक कराई गई और इस दस्तावेज के आधार पर कल्याणीबाई के हिस्से की जमीन का वारिस वादी कालूलाल को मान लिया गया। इसके अलावा कब्जे के लिये वादी पक्ष के गवाहान PW-2 और PW-4 के बयानों के साथ DW-2 जमनाबाई के बयानों में जिरह के दौरान कथित कब्जे की स्वीकारोक्ति को आधार बनाया गया है।

तनकी संख्या-2 का निस्तारण भी इसी तनकी के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है। और इसी प्रकार तनकी संख्या-3 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या-1 निस्तारित कर उसे कब्जे की पुनः प्राप्ति का अधिकारी नहीं माना।

3. सर्वप्रथम देखा जाये तो कब्जे के सम्बन्ध में पत्रावली पर जो साक्ष्य स्वयं PW-1 कालूलाल की है, उस शपथपत्र में स्वयं वादी ने यह कहा है कि “कल्याणीबाई के हिस्से की आराजी कल्याणीबाई के जीवनकाल से ही मेरे कब्जेकाशत में आ रही है। उसकी मृत्यु के बाद भी मेरे कब्जे काशत में है।” लेकिन जिरह में इस गवाह ने कहा है कि “सभी खातेदारान के मध्य आपसी बंटवारा हो रखा है। मूलचन्द की जमीन को छोड़कर सभी काशतकारान अपनी-अपनी जमीन को काशत करते हैं। मूलचन्द जी की जमीन मैं काशत करता हूं। जमीन मेरे पड़ी हुई नहीं है। 50 वर्षों से काशत होने का रिकॉर्ड मैं मैंने खसरा गिरदावरी की नकलें पेश नहीं करी, न ही लगान की रसीद पेश करी। 50 वर्ष काशत की ग्राम पंचायत की तस्दीक भी पेश नहीं करी। मैं मूलचन्द जी का लड़का होने के नाते उनकी जमीन काशत कर रहा हूं। यह सही है कि मूलचन्द का लड़का होने के नाते काशत करने की बात मैंने अपने दावे में नहीं लिखी है।” आगे यह गवाह कहता है कि “मूलचन्द के फौत होने का उसे पता नहीं है। यह सही है कि मूलचन्द के मरने के बाद कल्याणीबाई के नाम इन्तकाल खुला।” इस प्रकार स्वयं वादी की साक्ष्य उसके वादपत्र के

अभिवचनों से पूर्ण रूप से मेल नहीं खाती, क्योंकि कब्जे का प्रश्न विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आधारभूत माना है और इस कब्जे के तथ्य को लेकर ही स्वयं वादी की साक्ष्य में शपथपत्र और जिरह में पर्याप्त विभेद है। शपथपत्र और दावे में वादी कल्याणी के जमाने से काशत करना बताता है जबकि जिरह में मूलचन्द के जमाने से उनके पुत्र होने के आधार पर स्वयं का कब्जा काशत बताता है। ये दोनों तथ्य आपस में विरोधाभासी हैं। विशेष तौर से तब जबकि मूलचन्द ने अपने जीवनकाल में कालूलाल को अपना बेटा माना हो और काशत के लिये अधिकृत किया हो; ऐसा ना तो वादी का कोई अभिवचन है और न ही किसी गवाह की साक्ष्य और न ही ऐसा कोई दस्तावेज है। अर्थात् जहां अभिवचन एवं साक्ष्य में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित हो वहां न केवल ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता अपितु प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) भी लिया जाना चाहिये। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय Kashinath vs. Jagannath [(2003) 8 SCC 740] में स्थापित किया गया है।

4. इसी क्रम में गवाह DW-2 स्वयं प्रतिवादी संख्या-1 वर्तमान द्वितीय अपीलार्थी जमनाबाई है। जमनाबाई की जिरह को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस जिरह में जो वादी की कब्जे बाबत कथित स्वीकारोक्तिपूर्ण कथन होना बताया है वह रिकॉर्ड के विपरीत है। जिरह के A से B हिस्से में यह अंकित है कि “यह सही है कि विवादित जमीन को कालूलाल ही काशत करता है। मेरी मां कल्याणी को मरे हुए 7 साल हो गये हैं।” लेकिन आगे गवाह ने यह कहा है कि “यह बात गलत है कि मेरी मां कल्याणीबाई के मरने से पहले जमीन की वसीयत कालूलाल के नाम करा दी हो।” उसने यह सुझाव गलत होना बताया है कि कल्याणीबाई के जीवनकाल में कालूलाल वादी जमीन काशत करता हो। आगे इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जमीन पर उसका कब्जा कभी नहीं रहा है। अर्थात् स्पष्ट रूप से जिस कथित स्वीकारोक्ति का कथन विद्वान विचारण न्यायालय अपने निष्कर्षण में करते हैं, वह सम्पूर्ण जिरह के एक वाक्य मात्र के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है, न कि सम्पूर्ण जिरह का समग्र रूप से निकाला गया निष्कर्ष है और ऐसा निष्कर्ष कतिपय सुविधाजनक अभिमूल्यन को निकालने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। साक्ष्य विधि की यह स्थापित मान्यता है कि मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन समग्र और सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर होना चाहिये, ना कि अलग-अलग या एकल वाक्यों या वाक्यांशों के आधार पर। अर्थात् जहां न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में साक्ष्य के कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया हो, जिससे मौखिक साक्ष्य का समग्र विवेचन दूषित होता हो, तो ऐसा अपूर्ण विवेचन

विकृतियुक्त होता है, जो Perversity की परिभाषा में आता है। Perversity की परिभाषा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायनिर्णय दामोदरलाल बनाम सोहन देवी [AIR 2016 SC 262] में स्पष्ट किया गया है -

"The findings of fact recorded by a court can be held to be perverse if the findings have been arrived at by ignoring or excluding relevant material or by taking into consideration irrelevant / inadmissible material...."

5. विद्वान विचारण न्यायालय का दूसरा आधार दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 16.6.1998 है, जिसे शपथ आयुक्त द्वारा दिनांक 17.6.98 को तस्दीक करना बताया गया है। इस दस्तावेज पर प्रदर्श-3ए का अंकन हो चुका है लेकिन स्वयं वादी के शपथपत्र को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि टाईपशुदा शपथपत्र में इस दस्तावेज का प्रदर्श असल वसीयतनामा प्रदर्श-3 और नकल वसीयतनामा प्रदर्श-P-3A पहले से ही टाईपशुदा था और यह शपथपत्र शपथ आयुक्त के समक्ष बनाया गया था, जिसकी पुष्टि शपथ आयुक्त की हाशिये पर लगी हुई सील से होती है, अर्थात् प्रदर्श डालने की कार्यवाही न्यायालय में हुई हो ऐसा इस पत्रावली से प्रकट नहीं होता। इसलिए स्पष्ट रूप से इस दस्तावेज को प्रदर्शीकरण करने पर भी युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है। फोटोकॉपी दस्तावेज के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शीकरण एवं तत्सम्बन्धी आक्षेप के सम्बन्ध में सुस्पष्ट विधि का प्रतिपादन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय R.V.E. Venkatachala Gounder Vs. A. Viswesaraswami [(2003) 8 SCC 752] में किया गया है -

"The objections as to admissibility of documents in evidence may be classified into two classes:- (i) an objection that the document which is sought to be proved is itself inadmissible in evidence; and (ii) where the objection does not dispute the admissibility of the document in evidence but is directed towards the mode of proof alleging the same to be irregular or insufficient. In the first case, merely because a document has been marked as 'an exhibit', an objection as to its admissibility is not excluded and is available to be raised even at a later stage or even in appeal or revision.

Out of the two types of objections, referred to hereinabove, in the later case, failure to raise a prompt and timely objection amounts to waiver of the necessity for insisting on formal proof of a document, the document itself which is sought to be proved being admissible in evidence. In the first case, acquiescence would be no bar to raising the objection in superior Court...."

6. इसके अलावा यदि इस दस्तावेज को इसकी फेस वैल्यू पर देखा जाये तो यह दस्तावेज फोटोप्रति है, अपंजीकृत है और जिस दिन यह दस्तावेज निष्पादित किया गया, उसके अगले दिन शपथ आयुक्त से प्रमाणित कराया गया है। तारीखों के इस अन्तर का कोई युक्तियुक्त आधार इस पत्रावली पर वादी द्वारा नहीं बताया गया है; जबकि शपथ आयुक्त के हस्ताक्षर के नीचे 17.6.98 अंकित है और दस्तावेज की लिखावट के नीचे 16.6.98 अंकित है। दस्तावेज की पुश्त पर खरीद के समय किये गये अंकन में दिनांक 13.6.98 अंकित है। दिनांक 13.6.98 की क्रम संख्या 510 पर इसकी खरीदी के अंकन में ‘रहननामा’ को काटकर ‘वसीयतनामा’ दर्ज किया गया है और इसको खरीद करने वाला हेमराज धाकड़ नाम का व्यक्ति बताया गया है। अर्थात् यह स्टाम्प न तो कल्याणी द्वारा खरीदा गया है, न कालूलाल द्वारा खरीदा गया है, बल्कि तीसरे व्यक्ति जो इस प्रकरण में मूल वाद में इकबालिया जवाबदावा पेश करने वाला प्रतिवादी संख्या-6 है, द्वारा खरीदा गया है। इस दस्तावेज को आधार मानकर, बिना इसे विधिवत् साबित किये अपना निष्कर्षण निकालना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। जहां किसी दस्तावेज को साबित करने का प्रश्न है वहां दस्तावेज को साबित करने के लिये केवल मौखिक साक्ष्य आधार नहीं हो सकते। विशेष तौर पर जब इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला नन्दलाल PW-2 जिरह में यह कहता हो कि “प्रदर्श P-3 किसने खरीदा मुझे पता नहीं। यह स्टाम्प कब का है और कहां खरीदा मुझे पता नहीं। यह भी पता नहीं कि कितने साल पहले, किसने खरीदा पता नहीं। स्टाम्प में लिखा पढ़ी कब हुई पता नहीं। खरीदने वाले दिन हुई या खरीदने के बाद लिखा पढ़ी हुई पता नहीं है। यह स्टाम्प उसारे में कालूलाल ने लिखा है।” आगे गवाह यह कहता है कि “जब उसके हस्ताक्षर करवाये तब सरपंच को नहीं बुलाया और न ही सरपंच वहां उपस्थित हुआ। अर्थात् जिस दस्तावेज बाबत कथित रूप से इस गवाह को दस्तावेज का साक्षी होना बताया गया है, उसके सन्दर्भ में इस गवाह को कोई तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं है। अतः दस्तावेज के निष्पादन के संदर्भ में इसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर युक्तियुक्त प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। अर्थात् इस गवाह की साक्ष्य के आधार पर दस्तावेज दिनांक 16.6.98 / 17.6.98 का निष्पादन पूर्ण / पर्याप्त रूप से साबित नहीं माना जा सकता है।

7. प्रकरण में मूल वाद के अभिवचनों को देखा जाये तो दस्तावेज दिनांक 16.6.98 जिसे वसीयतनामा होना बताकर अपने वाद का आधार बनाया गया है, वास्तव में वसीयतनामा है या रहननामा, इस सन्दर्भ में स्पष्टता का अभाव है। इस दस्तावेज के निष्पादनकर्ता कालूलाल द्वारा अपने साक्ष्य में यह कहीं नहीं कहा गया कि यह दस्तावेज उसने लिखा है, न ही उसने इसे खरीदा और

इस दस्तावेज को सत्यापित करने वाला गवाह (Attesting Witness) PW-2 नन्दलाल इस दस्तावेज के निष्पादन के सम्बन्ध में अपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह कहता है कि इस दस्तावेज में उसारे में PW-1 ने लिखा है, तो क्यों PW-1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन नहीं किया कि यह दस्तावेज उसने नहीं लिखा है, यह तथ्य अपने आपमें प्रासांगिक हो जाता है। इस प्रासांगिक प्रश्न के उत्तर के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय R.V.E. Venkatachala Gounder Vs. A. Viswesaraswami (supra) के अनुक्रम में यह भी देखना होगा कि वास्तव में दस्तावेज, उसकी लिखावट के अवयवों के आधार पर, किस प्रकृति का है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि राजस्व अपीलीय मामलों को दस्तावेज की प्रकृति के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये, लेकिन यदि स्पष्ट रूप से किसी दस्तावेज का प्रभाव पक्षकारों के राजस्व सम्बन्धी सिविल अधिकारों पर पड़ता है या विशुद्ध रूप से राजस्व अधिकारों पर पड़ता है तो उस दस्तावेज की 'जैसा वह मौजूद है' उस स्थिति में उसके अवयवों का विश्लेषण किया जा सकता है, जो कि प्रकरण के गुणावगुण पर निर्धारण में सहायक होगा। दस्तावेज लिखावट दिनांक 16.6.98 को देखा जाये तो यह दस्तावेज कथित तौर पर वसीयतनामे के साथ-साथ गोदनामा भी प्रतीत होता है क्योंकि इसी दस्तावेज में एक ओर जहां यह लिखावट है कि "मेरे मरने के बाद कालूलाल पि० मांगीलाल मालिक होगा" और वहीं यह अंकन है कि "जमनाबाई का जमीन में कोई हक नहीं होगा।" लेकिन इसके पश्चात् यह भी अंकन है कि "कालूलाल को मैं अपना बेटा बनाती हूं कालूलाल मेरा अन्तिम संस्कार करेगा", इत्यादि-इत्यादि। अर्थात् मृतक कालूलाल द्वारा अपने वादपत्र में इस दस्तावेज को आधार बनाते समय मूलभूत दो तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया या छिपाया गया है। पहला यह कि दस्तावेज की लिखावट उसके द्वारा की गई है, दूसरा यह कि इस दस्तावेज की प्रकृति वसीयतनामा सह गोदनामा के रूप में है, न कि केवल वसीयतनामे के रूप में। यह तथ्यात्मक आलोप इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिरह में कालूलाल यह कहता है कि मांगीलाल की मृत्यु कब हुई, उसे नहीं पता। साथ ही इस दस्तावेज की पुश्त पर इस दस्तावेज के सम्बन्ध में इसके रहननामा होने या वसीयतनामा होने के बाबत् युक्तियुक्त संदेह प्रत्यक्षतः प्रकट होता है। अर्थात् उक्त न्यायनिर्णय R.V.E. Venkatachala Gounder Vs. A. Viswesaraswami (supra) के आलोक में यह स्पष्ट है कि इस दस्तावेज के संदर्भ में उठाया गया आक्षेप केवल उसके साक्ष्य में ग्राह्यता या अग्राह्यता के प्रक्रियात्मक आधारों के सम्बन्ध में नहीं था, बल्कि इस दस्तावेज की मूल प्रकृति के सम्बन्ध में भी था। ऐसी स्थिति में ऐसे

दस्तावेज के आधार पर वादी के अधिकार निर्धारण बाबत निकाला गया कोई भी निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त विवेचन के अनुक्रम में हस्तगत निर्णय के विचारणीय बिन्दु संख्या-i से iii का निस्तारण किया जाता है।

8. इसी क्रम में देखा जाये तो उक्त वसीयतनामा दिनांक 16.6.98 के सन्दर्भ में एक आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 दर्ज हुआ था, जो कि दस्तावेज के फर्जकारीपूर्वक बनाये गये होने के सम्बन्ध में कालूलाल व हेमराज के खिलाफ पेश हुआ था। इस आपराधिक प्रकरण के न्यायनिर्णय में मुख्य अभियुक्त कालूलाल जो कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद का वादी था, मृतक होने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की गई थी और हेमराज (दूसरा अभियुक्त), जिसके द्वारा कथित तौर पर हस्तगत प्रकरण में स्टाम्प खरीदना प्रकट होता है, के खिलाफ विचारण के पश्चात् न्यायालय द्वारा उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया था। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है, कि कूटरचना और फिंगरप्रिंट के सम्बन्ध में एफ.एस. एल. की रिपोर्ट उक्त आपराधिक प्रकरण में पेश नहीं हुई थी तथा दस्तावेज को ऐसी विधि-विज्ञान जांच के लिये अयोग्य माना गया था। उपरोक्त तथ्यों के रहते हुए भी विधि का यह सुप्रतिपादित सिद्धान्त है कि आपराधिक मामलों में और सिविल मामलों में विचारण के दौरान साक्ष्य के मूल्यांकन का पैमाना अथवा मापदंड अलग-अलग होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय K.S. Premshankar vs. Inspector of Police [(2002) 8 SC Page 87] आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है :-

"If judgement of a civil court is not binding on a criminal court, a judgment of a criminal court will certainly not be binding on a civil court."

वैसे भी दस्तावेज की प्रकृति का निर्धारण करने हेतु न तो आपराधिक न्यायालय सक्षम है और न ही राजस्व न्यायालय। दस्तावेज की प्रकृति वस्तुतः क्या है और उसकी विधि में शुचिता व पोषणीयता किस प्रकार से है, यह अवधारणा सिविल न्यायालय की अधिकारिता की विषयवस्तु है। अतः इस न्यायालय के सुविचारित मत में चूंकि मूल अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामले में विचारण हुआ ही नहीं था और सह-अभियुक्त का संदेह का लाभ देकर बरी होने के आधार पर उन्हें इस प्रकरण में विवादग्रस्त दस्तावेज वसीयतनामा / रहननामा / गोदनामा के माफत कोई फायदा या अनुकूल निष्कर्ष निकाले जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

9. इस प्रकार देखा जाए तो हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्षण न केवल वादी के अभिकथनों एवं उसकी साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रतिकूल अनुमानित किये जाने योग्य है, बल्कि साक्षियों की मौखिक साक्ष्य विकृतिपूर्ण विवेचन-विश्लेषण के दोष से ग्रसित है। इस प्रकार के मौखिक साक्ष्य के विकृतिपूर्ण विश्लेषण को आधार बनाकर लिया गया कोई भी निष्कर्षण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय का इस प्रकरण के आधारभूत दस्तावेज कथित वसीयतनामा/ रहननामा / गोदनामा का विधि के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ जाकर किया गया विवेचन/विश्लेषण विधिसम्मत नहीं होना प्रकट होता है।

10. जहां तक अधिवक्ता अपीलार्थी इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण में जवाब दावे में वर्णित कब्जा वापसी/ बेदखली के काउन्टर क्लेम के अनुतोष का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवेचन-विश्लेषण नहीं किया गया; तो इस तर्क से यह न्यायालय पूर्णतः सहमत है। कब्जे के बिन्दु को साबित करने के लिए स्वयं वादी पीडब्ल्यू-1 की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां वह अपने कब्जे को उपरोक्त विवेचन के अनुसार तथ्यात्मक रूप से होना तो प्रकट करता है लेकिन उस कब्जे के वैधानिक और विधिसम्मत आधार को प्रकट करने में वह असफल रहता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जहां कब्जे का कोई वैधानिक व विधिसम्मत आधार या अधिकार प्रकट नहीं होता है, वहां ऐसा कब्जा विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। और इस संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में, विवादित आराजीयात बाबत, जरिए नामांतरण संख्या 685 व 872 दिनांक 07.09.2000 बतौर मृतका कल्याणी बाई की जायंदा पुत्री, दर्ज किया गया इंतकाल विधिसम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जबकि वादी ने अपने मूल वाद में यह कथन कहीं भी नहीं किया है कि अपीलार्थी जमना बाई मृतका कल्याणी बाई की जायंदा पुत्री नहीं है; उक्त इंतकाल को विकृतियुक्त मौखिक साक्ष्य एवं प्रमाणित तथा संदिग्ध दस्तावेज (रहननामा/वसीयतनामा/गोदनामा) के आधार पर अविधिमान्य मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी जमनाबाई मुताबिक काउन्टर क्लेम उसे प्राप्त पैतृक भूमि में अपने हिस्से के अनुसार कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी प्रकट होती है। इस प्रकार दावे में संस्थित विवाद्यक संख्या 1 व 2 विरुद्ध वादी कालूलाल निर्णीत की जाकर उसका दावा खारिज योग्य है तथा अपीलार्थी प्रतिवादी जमनाबाई के जिम्मे रही विवाद्यक संख्या 3 साबित होकर उसका काउन्टर क्लेम डिक्री योग्य होना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री निर्णय क्रमशः दिनांक 14.6.2007 तथा दिनांक 5.7.2007 दोनों निरस्तनीय

होकर प्रकरण पुनः डिक्री किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने छीतरलाल द्वारा दायर अपील संख्या 494/07 में अन्तिम डिक्री पर प्रस्तुत आपत्तियों पर बिना विचारण ही अपील को खारिज कर दी गई; तत्सम्बन्धी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की विवेचना इस निर्णय में समग्र रूप से की जा चुकी है, जिसमें इस निर्णय के बिन्दु संख्या (vi)(1) में वर्णित सजरे के मुताबिक अंशधारियों/पक्षों क्रमशः लालचंद व हेमराज पि० गोपीचंद; नट्टीबाई पत्नी मांगीलाल व कालूलाल व रामनारायण पि० मांगीलाल; भूलीबाई पत्नी दौला व छीतरलाल पि० दौला तथा जमनाबाई पुत्री मूलचन्द को विवादित पैतृक आराजीयात में बराबर का हकदार / हिस्सेदार माना जाता है। अतः हमारे सुविचारित मत अनुसार प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार योग्य होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2008 भी अपास्त किये जाने योग्य है। एतद्द्वारा उपरोक्त अनुसार आदेशित की जाती है।

आदेश

अतः समग्र तथ्यात्मक विवेचन, पत्रावली के अनुशीलन तथा सुप्रतिपादित विधिक प्रावधानों के अनुसरण में निर्णयस्वरूप विवादित भूमि ग्राम बमोरीघाटा की खसरा नम्बर 30 रकबा 22.08 बीघा तथा ग्राम पछड़ की भूमि कुल किता 11 रकबा 83.02 बीघा के लिये प्रत्यर्थी / वादी कालूलाल का दावा खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2008 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा प्रदत्त निर्णय एवं डिक्री 14.6.2007 तथा दिनांक 5.7.2007 अपास्त करते हुए; प्रकरण में अपीलार्थी प्रतिवादी जमनाबाई पुत्री मूलचन्द का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर नामांतकरण संख्या 685 व 872 दिनांक 7.9.2000 को यथावत रखते हुए, इनके अनुसार जमनाबाई के दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि का कब्जा अपीलार्थी जमनाबाई को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। इस निर्णय के अनुक्रम में विवादित भूमि का जमनाबाई एवं अन्य सहखातेदारों के मध्य राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 22 की पालना करते हुए विधिवत् विभाजन करवाया जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय सुनाया गया।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य